फाइल नं0-71-3099/407/2021-03

6/2024/I/472034/2024

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
जौनपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 15 जनवरी, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश दिनॉक 16.06.2023 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–मेडि0का0जौ0/2023/2077, दिनॉक 28.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में आई0पी0डी0 एवं प्रयोगशालायें प्रारम्भ किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-I/333958/2023-71-3099/407/2021-03, दिनॉक 16.06.2023 द्वारा रू0 1000.00 लाख के उपकरण/फर्नीचर की सूची अनुमोदित की गई है।

3- उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-81/2023/I/333948/2023-71-3099/407/2021-03 , दिनॉक 16.06.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , जौनपुर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में आई0पी0डी0 एवं प्रयोगशालायें प्रारम्भ किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-I/333958/2023-71-3099/407/2021-03, दिनॉक 16.06.2023 द्वारा अनुमोदित उपकरण/फर्नीचर के क्रय हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या-81/2023/I/333948/2023-71-3099/407/2021-03, दिनॉक 16.06.2023 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 1000.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 9,93,33,489/- (रू0 नौ करोड़ तिरानबे लाख तैंतीस हजार चार सौ नवासी मात्र) से किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. उपकरण/फर्नीचर का क्रय वास्तविक आवश्यकतानुसार जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार करने हेतु प्रधानाचार्य को अधिकृत किया जाता है। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।
2. प्रश्नगत उपकरणों/फर्नीचरों का क्रय पूर्व निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार किया जाएगा। जिन उपकरणों/फर्नीचरों का स्पेशिफिकेशन निर्धारित नही है, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं मेडिकल कालेज के अन्य विशेषज्ञों की समिति गठित कर स्पेशिफिकेशन निर्धारित कराये जाने के उपरान्त उपकरणों/फर्नीचरों का क्रय किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरणों/फर्नीचरों का क्रय एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा। सभी उपकरणों/फर्नीचरों की विशिष्टियों, गुणवत्ता व आडिट आदि की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।
4. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण/फर्नीचर क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण/फर्नीचर की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण/फर्नीचर की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें की पूर्ति कर ली जाए।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों/फर्नीचरों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
8. उपकरणों/फर्नीचरों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0 को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
9. उपकरण/फर्नीचर के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
12. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।